

SITE INSPECTION REPORT NCT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this from B.P.C.L....for diversion under (FCA-1980) of Q.: 214.95.9 hect. Of forest land non-forestry propose. The Project envisage the use of forest land construction of Approach Road..widening. The site inspection of the land involved in the proposal has done.....—.....by me in dated.....28/06/2022

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protect forest measuring Q.: 214.95.9 hect. The requirement of forest land as proposed by the under agency in col. 2 part-1 is unavailable and is breast minimum required for the project.

Weather any rare/endangered/unique species of Flora and Funna found in the area if. So the details there of.....Nil..... whether any protect archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

- (a) The user agency has not violated the provisions, of forest (Conversion) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction (No).
- (b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conversion) Act, 980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapert-1 para- C handbook of forest (Conversion) Act. 1980 is attached (Yes).

Specifie recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: Gonda

Dated: 14/11/2024-

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
H. गोण्डा (उम्प्रो)

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद गोण्डा में गोण्डा-बलरामपुर मार्ग एस0एच0-1ए के कि0मी0 167 (चैनेज संख्या-166.925) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या-415 व 416 पर रिहित ग्राम कर्मडीह वेलवा तहसील व जिला गोण्डा (उ0प्र0) में प्रस्तावित बी0पी0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	बलरामपुर
	(3) वन प्रभाग	गोण्डा
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेन में)	0..214959
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.3
	(7) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में आर0एल0एफ0 आर0एल0-2 मी0 पर परगणना और एक आर0एल0-4 मी0 पर संलग्न की जाये।	शून्य
	(8) भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संबंधनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संबंधनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मंडल रिजर्व, वाध, रिजर्व हाथी कोरी डोर आदि का भाग है। यदि हाँ तो क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाये।	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं यदि हाँ तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के व्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	हाँ
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है/नहीं/यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहा है।	उल्लंघन छुआई, सूचना संकलन है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर	कुआना रेंज ढोगही बीट क0सं0-6

(13)

	<p>क्षेत्र/अवकामित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार</p> <p>(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर क्षेत्र/अवकामित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता है।</p> <p>(3) रोपित की जान वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।</p> <p>(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।</p> <p>(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)</p>	-
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्ता कालम-7 (11, 12) 8 और 9 में यूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	<p>विभाग/जिला प्रोफाइल</p> <p>(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र</p> <p>(2) जिले का वन क्षेत्र</p> <p>(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र</p> <p>(4) 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण</p> <p>(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि</p> <p>(ख) वनेतर भूमि पर</p> <p>(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी</p> <p>(क) वन भूमि पर</p> <p>(ख) वनेतर भूमि पर</p>	<p>4448.00 वर्गमी (444800.00 हे०)</p> <p>11702.233 हे०</p> <p>32 मामले (145.3042 हे०)</p> <p>93.910 हे० (वन व वनेतर)</p> <p>54.468 हे०</p> <p>39.442 हे०</p> <p>-</p> <p>42.468 हे०</p> <p>36.730 हे०</p>
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	परियोजना महत्वपूर्ण है जनता के हित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

प्रभावती भट्टाचार्य
वन व वनेतर कार्री
गोप्ता वन प्रभाग गोप्ता
गोप्ता (वडप्र०)